Title: Need to protect interests of contract labourers of Thermal Power Stations under Damodar Valley Corporation- Laid.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): दामोदर घाटी निगम के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों में ठेका मजदूरों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और बोकारो थर्मल पावर में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं मुआवजा प्रदान करने का मामला लंबित है। इन सारे बिन्दुओं पर मैंने सरकार एवं दामोदर घाटी निगम प्रबंधन का ध्यान आकृट कराया परन्तु आज तक कोई साकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर प्रतिठान के 207 ठेके मजदूरों को र्वा 1994 तक ग्रुप " सी " के पद स्थायी कर लिया गया है जबकि चन्द्रपुरा में 685 कार्यरत मजदूरों में से 235 मजदूरों को ग्रुप "सी" के पद पर स्थायी किया गया। शेा लगभग 450 मजदूर स्थायीकरण से वंचित है। बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में 700 मजदूरों में से मात्र 45 मजदूरों को कुछ माह पूर्व स्थायी किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक जांच दल गठित कर ठेका मजदूर एवं मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उचित न्याय दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।